न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 3 / 2022

प्रार्थी :– पुखराज पुत्र श्री कुनाराम, जाति माली, निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा
2. भंवरलाल पुत्र श्री मानाराम, जाति माली निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. ढगलाराम पुत्र श्री हेमाराम जाति सीरवी निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. मांगीलाल पुत्र श्री कुन्नाराम, जाति सीरवी निवासी पिचियाक, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार

अप्रार्थी संख्या 2 से 4 स्वयं उपस्थित।

आदेश **दिनांक** :– 17/7/23

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 924 / 1 व 924 / 2 रकबा 11 बीघा स्थित है। उक्त खसरे की भूमि प्रार्थी पुखिया को उप जिला अधिकारी जोधपुर से दिनांक 06.02.1976 को आवंटनसुदा है, जो आवंटन पत्र प्रार्थी पुखिया के हक में दिनांक 06.02.1976 को जारी हो रखा है। प्रार्थी के नाम जारी होने पर म्यूटेशन प्रार्थी पुखिया के नाम से भरा गया है प्रार्थी के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या 2 भवरिया को भी उक्त खसरा नम्बर 924 / 1 व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

924/2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि उप जिला अधिकारी जोधपुर के द्वारा दिनांक 06.02.1976 को आवंटन हो रखी है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को एक ही दिन उक्त खसरे की भूमि में से अलग–अलग भूमि आवंटन हुई है तथा आवंटन होने के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का अलग–अलग जगह कब्जा काश्त है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी तरमीम करते समय दोनो खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से तरमीम की गई है तथा उक्त खसरा नम्बर 924/1 की भूमि में से 11 बीघा का आवंटन प्रार्थी के नाम से एवं 12.10 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से जारी हो रखा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आवंटन होने के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 अपनी अपनी भूमि पर आज दिन काबिज है एवं काश्त कर रहे है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि को आवंटन के समय से ही राजस्व नक्शे में अलग–अलग तरमीम की गई थी। प्रार्थी को ग्राम पिचियाक की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 रकबा 11 बीघा अप्रार्थी संख्या 2 को 12.10 बीघा भूमि आवंटन होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 752 खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा का प्रार्थी भवरिया पुत्र मानाराम व पुखिया वल्द कुन्नाराम कौम माली दोनो के नाम बहिस्सा बराबर–बराबर भर दिया गया तथा खसरा दोनो के अलग अलग होने के बावजूद भी खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 बता कर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से अशुद्ध कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से आवंटन खसरा नम्बर 924 का राजस्व म्यूटेशन में कही पर भी अंकन नही किया गया है मात्र एक ही मूल खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 बता कर दोनो खसरों का रकबा जोड़ कर 23 बीघा 13 बिस्वा भूमि का बहिस्सा बराबर–बराबर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भर दिया गया जबकि नक्शे में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के दोनो के खसरे अलग–अलग तरमीम किये गये है तथा दोनो के नाम से अलग–अलग आवंटन की गई है तथा खसरा भी अलग–अलग आवंटन किये गये थे। खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 रकबा 3.8589 हैक्टेयर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी पुखराज व अप्रार्थी संख्या 2 भंवरलाल के नाम से रकबआ अलग–अलग इन्द्राज नही करके दोनो का शामिल इन्द्राज कर दिया

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गया जबकि खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 06.02.1976 को आवंटन हो रखे है मगर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन भरते समय उक्त खसरों को अलग–अलग दर्ज नही कर मात्र खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 के स्थान पर मात्र 924/1 बता कर रकबा 3.8589 हैक्टेयर का एक ही स्थान पर तरमीम नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ.कर दी गई है जो तरमीम गलत की गई है। खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटनसुदा है मगर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा खसरा नम्बर 924/2 रकबा 2.4270 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 3 ढगलाराम व अप्रार्थी संख्या 4 मांगीलाल के नाम से राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज कर गलत तरमीम भी नक्शे में मार्क जी.एच. आई.जे. कर दी गई है, जिसको शुद्ध किया जाना अति आवश्यक है। जबकि सही तरमीम आवंटन के समय नक्शा ट्रेस राजस्व कर्मचारियों द्वारा मार्क अ.ब.स. द.य तथा मार्क क.ख.ग.घ. खसरा नम्बर 924/1 व 2 की सही तरमीम की गई है एवं इसी माफिक आवंटियों का मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 का राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम करने एवं राजस्व जमाबन्दी में भी सही इन्द्राज करने तथा उक्त खसरे की गलत तरमीम को सही करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 को निवेदन किया मगर उन्होने कब्जा अनुसार दुरूस्ती करने से दिनांक 25.01.2021 को स्पष्ट मना कर दिया। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 की मार्क अ.ब.स.द.य तथा क.ख.ग.घ कब्जे के अनुसार तरमीम करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 924/2 में खातेदार दर्ज किया गया है एवं तरमीम की गई है उनके नाम हटा कर अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के स्थान पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का नाम जोड़ा जावे तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से सही तरमीम की जावे ताकि मौके पर रेकर्ड की एक रूपता हो सके तथा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 से 6, अन्य पद संख्या 6, 4, 5 सही होने से स्वीकार है तथा पद संख्या 6 कानूनी है। पद संख्या 7 प्रार्थी द्वारा अनुतोष चाही गई है जिसमें वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 924/1 व 2 की संलग्न नक्शे में मार्क अ.ब.स.द.य. तथा क.ख.ग.घ. कब्जे अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाती है तो मेरी पूर्ण सहमति है, हम अप्रार्थीगण को कोई आपति या उजर नही है।

अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए और अपना जवाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पिचियाक की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 के खाता सं. 305 में खसरा नम्बर 924/1/2 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा भंवरलाल पुत्र मानाराम, पुखराज पुत्र कुनाराम जाति माली के नाम दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 366 में खसरा नम्बर 924/1 रकबा 3.8589 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय पुखराज पुत्र कुनाराम 1/2 व भंवरलाल पुत्र मानाराम 1/2 जाति माली के नाम दर्ज है। ग्राम पिचियाक के नामा. सं. 649 के द्वारा आवंटित भूमि का जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 924/1/2 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा भवरिया वल्द मानाराम, पुखिया वल्द कुनाराम कौम माली के नाम दर्ज था। ग्राम पिचियाक के नक्शा लटठा में तत्कालीन पटवारी द्वारा तरमीम दो जगह अलग–अलग की गई लेकिन अलग–अलग आवंटन अनुसार रकबा तरमीम से मिलान नही हो रहा है। लटठा नक्शा की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है। जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 से सम्वत् 2073 से 2076 की जमाबन्दी डीआईएलआरएमपी के तहत ऑनलाईन की गई थी, जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में खसरा नं. 924/1/2 रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा दर्ज होने से कम्प्यूटराईजेशन में सॉफ्टवेयर में खसरा नम्बर के एक से अधिक बट्टा नम्बर का दर्ज करने का प्रावधान नही होने से 924/1 रकबा 3.8589 हैक्टेयर प्रार्थी व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया। तदनुसार वन टू वन मैपिंग फारमुला अनुसार ऑनलाईन तरमीम की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किये गये, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 स्वयं उपस्थित हुए तथा इन्होने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या 924/1 रकबा 3.8589 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 924/1 व 2 में से रकबा 11 बीघा प्रार्थी को दिनांक 06.02.1976 को आवंटन हुई तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 924/1 व 2 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 2 को उसी दिन आवंटन हुई तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त दोनो खातेदारान की भूमि को सयुक्त रूप से कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम कर उक्त खसरा नम्बर 924/1 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा दर्ज कर ली गई, जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 06.02.1976 को अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग भूमि आवंटन हुई थी। उपरोक्त की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित मार्क अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे तथा अनावश्यक रूप से दर्ज अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी से हटाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार राजस्व ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 924/1 रकबा 23 बीघा 13 बिस्वा मे से रकबा 11 बीघा प्रार्थी को आंवटनसुदा है तथा रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटनसुदा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही की दुरूस्ती के सम्बंध में कोई एतराज पेश नही किया। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम पिचियाक, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 924/1 रकबा 3.8589 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 924/2 रकबा 2.4270 हैक्टेयर कुल रकबा 38 बीघा 17 बिस्वा की पूर्व की गयी तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो खसरा नम्बर 924/1 व 924/2 में से रकबा 23 बीघा 17 बिस्वा की तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की मौके पर काबिज अनुसार दुरूस्त करे तथा शेष रकबा 15 बीघा की तरमीम अप्रार्थी संख्या 3 व 4 मौके पर काबिज अनुसार नया खसरा नम्बर दर्ज कर नये सिरे से तरमीम करे। मुताबिक आदेशानुसार तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में कर उसकी पालना रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 17/7/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा